

निर्णय

अतः वाडी ग्राम भगवानपुरा की जमाबंदी  
संवत् २०६६-६७ के खाला सं. नया - पुराना ३३१-३००  
असरा नं. ९१९/५, ९१९/७ रकबा कुमशः २.००.००. ५.१००.००  
बीघा कुल किला वे रकबा ७.००.०० बीघा से ६.००.००  
बीघा का आलेदार एडवोकेट फ्लेशच के आधार पर घोषित हो  
के बसकत रहा है अतः वाडी का वाड खासत किया  
है। वाडी अपना पुराना रकबा होस दस्तावेज के आधार पर  
साबित नहीं कर पाया है और न ही वाडी का  
दस्तावेज वैवाक्य वरिफाई है। अतः वाड पर सारहीन  
क बारहीन होने से खासत किया जाता है। डिफरें  
प्रवां डाका खासत जारी हो। अर्था फाईने अपना  
अपना कतन करे।

निर्णय कसरे आय भगवानपुरा से  
सुनाया गया।

पुथर  
सदस्य  
लोक अदालत शिविर  
सरवाड (अजमेर)

Prakash  
सदस्य  
लोक अदालत शिविर  
सरवाड (अजमेर)

HC  
अध्यक्ष  
लोक अदालत शिविर  
सरवाड (अजमेर)